भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3019

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

त्रुटिपूर्ण विद्युत-वितरण करने वाले ट्रांसफॉर्मरों को बदलना

3019. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खराब विद्युत-वितरण ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत-वितरण ट्रांसफॉर्मरों का ओवरलोड होना, विभिन्न स्थानों पर खंभों के स्थानांतरण में विलंब और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित जर्जर बिजली के खंभों के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों के समन्वय से विद्युत-वितरण ट्रांसफॉर्मरों का विकेंद्रीकरण, जर्जर बिजली के खंभों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित खंभों का शीघ्र स्थानांतरण करने, भूमिगत/केबल आधारित विद्युत लाइनों की स्थापना और लंबे समय से बसे हुए मजरा, टोला, नई कॉलोनियों और बस्तियों का शीघ्र विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा विद्युत का वितरण, वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है तथा संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल एवं सुरक्षित वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका रखरखाव करे। अतः, गुणवत्तापूर्ण तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली के उन्नयन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करने तथा हाई टेंशन (एचटी) एवं लो टेंशन (एलटी) लाइनों के खंभों तथा तारों की संरचनात्मक मजबूती की नियमित रूप से जांच करने

की जिम्मेदारी संबंधित वितरण यूटिलिटी की है; साथ ही, इस संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है।

सीईए (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, विद्युत स्टेशनों, उप-केंद्रों, पारेषण एवं वितरण लाइनों के निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करता है। ये विनियम विद्युत संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हैं और विद्युत संस्थापनाओं के आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 में गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करने के लिए आपदा संभावित क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में खंभों एवं तारों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। उपर्युक्त विनियम उन सभी कंपनियों पर लागू होते हैं जो विद्युत का उत्पादन, पारेषण तथा वितरण करती हैं।

भारत सरकार ने राज्यों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने में मदद करने के लिए पहले 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के माध्यम से तथा वर्तमान में जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता दी है।

आरडीएसएस के तहत, वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना संबंधी कार्यों जैसे सबस्टेशनों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन/संवर्धन, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण, एरियल बंच्ड केबल्स (एबीसी)/कवर कंडक्टर, भूमिगत केबल और स्मार्ट मीटरिंग के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य तथा 1.31 लाख करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार आरडीएसएस के तहत छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। आरडीएसएस के तहत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी); धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी); प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना (पीएम-एजेएवाई) के तहत अनुसूचित जाति (एससी); और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों सहित, जहां भी यह व्यवहार्य पाया गया, 6,521 करोड़ रुपये की लागत से 13.65 लाख छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 23.07.2026 तक, आरडीएसएस तथा राज्य स्कीमों के अंतर्गत 4.88 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
